सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 205/2021 दिनांक- 25 अप्रैल 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-रौनापार

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, लूटी गई सोने की टब्स भी बरामद।

श्रीमति विद्धावती देवी पत्नी शिवकुमार निवासी मऊकुत्तुबपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 73/2021 धारा 392 भादवि बनाम मो0सा0 पर सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में दिनांकः 11.03.2021 से ही अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष मय हमराह थाना रौनापार द्वारा त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर भैसाड़ तिराहा से समय करीब 08.50 बजे सुबह एक नफर वांछित अभियुक्त सत्तार पुत्र सदरूद्दीन निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त सत्तार पुत्र सदरुद्दीन निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज आजमगढ़ बदरियाफ्त पूछने पर जुर्म अपने साथी अभियूक्त इमरान पुत्र रिजवान निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज आजमगढ़ के साथ करना स्वीकार करते हुए अपनी गलती की माफी मांग रहा है। साहब गलती हो गई है अब दुबारा इस तरह की गलती नही करूँगा।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 73/2021 धारा 392/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-सत्तार पुत्र सदरूद्दीन निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी - लूटी गयी सोने की टप्स एक जोड़ी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. तारकेश्वर राय थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. म0का0 रेशमा सरोज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

नाबालिग किशोरी से दुराचार करने वाला गिरफ्तार

दिनांक 24.04.21 को वादिनी थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा खुद की नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री के स्नान करते समय ओमकार पुत्र सूबेदार साकिन वजीरमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा दुराचार के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/21 धारा 376 ,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराना।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला मय हमराहीयान व डायल 112 पीआरवी 1027 के कर्मगण द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम 1.ओमकार पुत्र सूबेदार उपरोक्त बताया। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया दौराने गिरफ्तारी मा 0सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

पूछताछ विवरण- पीड़िता द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध मे आरोपियों से पूछताछ किया गया तो अपना जूर्म कबूल कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 91/21 धारा 376 ,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

संरक्षण में लिये गये अपचारी किशोर- 1.ओमकार पुत्र सूबेदार साकिन वजीरमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमरीहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. पीआरवी 1027 के कर्मगण थाना निजामाबाद आजमगढ़